कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले के गंभीर आरोपी सुखदेव की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी ने की निरस्त

प्रेस विज्ञप्ति **(66/26, दिनांक 11.09.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) म.प्र., क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी द्वारा वन्यजीव अपराध के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार आरोपी सुखदेव (20 वर्ष), निवासी ग्राम हासई मेवदा, जिला मुरैना की प्रथम नियमित जमानत याचिका को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी ने निरस्त कर दिया है।

दिनांक 31 जुलाई 2026 को STSF भोपाल, वन विभाग आगरा एवं वन मंडल मुरैना की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई और गिरफ्तार सह-आरोपी गब्बर की निशानदेही पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना क्षेत्र से गड्ढा खोदकर मृत तेंदुए का कंकाल, हड्डियां व खोपड़ी बरामद की गई थी। इस आधार पर STSF शिवपुरी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/01 दिनांक 31-07-2026 दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी सुखदेव और उसके अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा वन्यजीवों का अवैध व्यापार करने के उद्देश्य से दो तेंदुओं (Panthera pardus) को फंदा लगाकर और लाठी-डंडों से पीटकर बेरहमी से मारा गया तथा उनकी खाल निकाली गई। आरोपी सुखदेव को 26 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में कुल 09 आरोपियों को आज दिनांक तक गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दिल्ली निवासी मुख्य आरोपी सहित 02 आरोपी अभी फरार है। जिन्हे पकडने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

प्रकरण में आरोपी सुखदेव के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में जमानत याचिका लगाई गई जिसे एसटीएसएफ इकाई शिवपुरी एवं अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी द्वारा अनुसूची-1 के संरक्षित वन्यजीव तेंदुए का शिकार कर अंगों का अवैध व्यापार किया गया है तथा प्रकरण की गंभीरता, अपराध की प्रकृति और विवेचना जारी रहने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी ने आरोपी सुखदेव की धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत जमानत याचिका (BA/638/2026) निरस्त कर दी।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल